

MR. CHAIRMAN : Mr. S. N. Misra is not here to move his amendment to clause 1.

The question is :

"That clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula and the title were added to the Bill.

SHRI K. R. GANESH : I beg to move ;

"That the Bill, as amended, be passed".

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill as amended, be passed".

The motion was adopted.

16.53 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE:
RAILWAY PASSENGER FARES
ORDINANCE AND RAILWAY
PASSENGER FARES BILL

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) :
सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"यह सदन राष्ट्रपति द्वारा 22 अक्टूबर, 1971 को प्रख्यापित रेल यात्री भाड़ा अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश सं० 17) का निरनुमोदन करता है।"

अभी हमने एक अध्यादेश पर सदन की स्वीकृति की मोहर लगाई है और अब सदन के सामने दूसरा अध्यादेश विचार के लिये प्रस्तुत है। पिछले अन्तर-सत्र काल में 13 अध्यादेश जारी किये गये। इतने अध्यादेश संविधान बनने के बाद से लेकर आज तक कभी जारी नहीं किये गये। संविधान के अन्तर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है, लेकिन संविधान इस अधिकार के दुरुपयोग की इजाजत नहीं देता है। यदि परिस्थिति असाधारण है, यदि जनहित में अध्यादेश जारी करना आवश्यक है तो अपवाद के तौर पर अध्यादेश का आश्रय लिया जा सकता है। लेकिन अब तो ऐसा दिखाई देता

है कि यह सरकार अध्यादेशों के बल पर राज्य चलाना चाहती है। सदन में सप्ताहक दल का दो-तिहाई से अधिक भारी-भरकम बहुमत है। बहुमत के बल पर शासन जो चाहे कर सकता है, फिर भी इस सदन की प्रतीक्षा नहीं करता है।

16 54 hrs.

[SHRI SEZHYAN in the Chair]

सभापति जी, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि टैक्स लगाने के लिये, रेल किराये में वृद्धि करने के लिये, डाक-तार की दर बढ़ाने के लिये अध्यादेश का अवलम्बन किया गया है। इस सदन में पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि स्वर्गीय मावलंकर ने अध्यक्ष पद से यह बात स्पष्ट शब्दों में कही थी और मैं उनके शब्दों को उद्धरित करना चाहता हूँ :

"The procedure of the promulgation of Ordinances is inherently undemocratic. Whether an Ordinance is justified or not, the issue of a large number of Ordinances has psychologically a bad effect. The people carry an impression that government is carried on by Ordinances. The House carries a sense of being ignored and the Central Secretariat perhaps gets into the habit of slackness which necessitates Ordinances and an impression is created that it is desired to commit the House to a particular legislation, as the House has no alternative but to put its seal on matters that have been legislated upon by Ordinance. Such a state of things is not conducive to the development of the best parliamentary traditions."

इसके बाद अध्यक्ष मावलंकर ने कहा कि अध्यादेश के द्वारा टैक्स लगाना तो समझ में ही नहीं आ सकता। इस सम्बंध में 17 जुलाई, 1954 को प्रधान मंत्री श्री नेहरू को उन्होंने एक पत्र लिखा था, जिसका एक अंश मैं उद्धरित करना चाहता हूँ—

"I may invite your attention to one more aspect, namely, the financial aspect involved in the amendment of the Indian

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

Income-tax Act, 1922. It is not directly a taxation measure. But it is intended for the purpose of collection of taxes. Indirectly it affects the finances and it would be a wrong precedent to have an Ordinance for such a purpose."

अध्यक्ष माबलंकर अप्रत्यक्ष रीति से टैक्स इकट्ठा करने के सम्बन्ध में जारी किये गये अध्यादेश का भी समर्थन करने के लिये तैयार नहीं थे, यहाँ तो अध्यादेश के द्वारा नवे टैक्स लगा दिये गये हैं।

इस प्रवृत्ति की निन्दा की जानी चाहिये। सरकार का यह कथन और जैसाकि इस विधेयक के उद्देश्यों में दिया गया है कि राज्यों के राज्यपालों और मुख्य मन्त्रियों की बैठक हुई और उन्होंने यह निश्चय किया कि बंगला देश के विस्थापितों पर जो खर्चा हो रहा है, उसको पूरा करने के लिये रेल किरावे में वृद्धि की जानी चाहिये—यह बैठक 12 अक्तूबर को हुई थी। 22 अक्तूबर को यह आर्डिनंस जारी किया गया। 15 नवम्बर से यह आर्डिनंस आचरण में आ रहा है और 15 नवम्बर से इस ससद की बैठक आरम्भ हुई है। राज्यपालों और मुख्य मन्त्रियों ने अध्यादेश जारी करने का सुझाव दे दिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि बिना आम आदमियों पर नया बोझ डाले हुए विस्थापितों की सहायता के लिये धन एकत्र करने के लिये और कौन से उपाय अपनाये जाने चाहियें।

क्या सरकारी खर्चों में कोई कमी की गई है, अपव्यय रोका गया है, ऐसे छिद्र बन्द करने की कोशिश की गई है, जिनमें से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अनुचित तरीकों से गलत हाथों में पड़ता है? बंगला देश के विस्थापितों के प्रति हमारा क्या दायित्व है। हम उनके लिए अपने द्वार बन्द नहीं कर सकते थे। पूर्वी बंगाल में मरने से बचने के लिए जो हमारी शरण में आए हैं, उनकी देखभाल करना हमारा नैतिक कर्तव्य है और शासन इसके लिए अगर अधिक धन चाहिया तो यह सबन धन देने से इन्कार

नहीं करेगा। लेकिन धन किससे लिया जाना चाहिये? क्या विस्थापितों के नाम पर. यह आवश्यक है कि तीसरे दर्जे के किराये में भी वृद्धि कर दी जाए? क्या इस दर्जे में यात्रा करने वाला अधिक किराया देने की क्षमता रखता है? पिछले वर्षों में अनेक बार रेल किरायों में वृद्धि हुई है। जिन अनुपात में किराये बढ़े हैं तीसरे दर्जे के यात्रियों के, स्थान उनके लिए नहीं बढ़ा है, उनकी सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई है। वे खड़े-खड़े यात्रा करते हैं, भेड़ों की तरह से भरकर जाते हैं। अब उन्हें बंगला देश के विस्थापितों के नाम पर अधिक किराया देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो एक रुपये का टिकट खरी-देगा, उसको भी यात्री कर देना होगा। एक रुपये का टिकट और उस पर यात्री कर क्या यह गरीबी हटाओ अभियान का एक हिस्सा है?

मैंने निवेदन किया है कि विस्थापितों के लिए अधिक साधन जुटाने की आवश्यकता है तो इन टैक्सों से तो केवल सत्तर करोड़ की व्यवस्था की गई है, जबकि साल भर से पांच छः सौ करोड़ रुपये आवश्यक होंगे। पहले कहा गया था कि विस्थापित छः महीने में वापिस चले जायेंगे। आठ महीने बीत गए हैं, वापिस जाने के बजाय उनकी संख्या बढ़ रही है। इनकी समस्या एक ढंग से हमने ही पैदा की है। यदि अप्रैल मास में ही हमने बंगला देश की स्वाधीन सरकार को मान्यता देकर भारी पैमाने पर सैनिक सहायता दी होती तो फिर न तो मुक्ति बाहिनी को इतने बलिदानों का अम्बार लगाना पड़ता और न भारत को इतनी भारी तादाद में विस्थापितों के आ जाने से जो समस्या पैदा हो गई है, उसका ही सामना करना पड़ता। तब सरकार उचित अबसर की प्रतीक्षा करती रही, विश्व जनमत को जागृत करने के लिए प्रयत्नशील रही। आठ महीने बीत गए, विस्थापितों के वापिस जाने की फिलहाल कोई स्थिति दिखाई नहीं देती। प्रश्न यह है कि

विस्थापितों के लिए साधन किस ढंग से जुटायें। मेरा सुझाव है कि अगर सरकार विदेशी शराबों पर, बड़े-बड़े होटलों के कमरों पर, घुड़दौड़ों पर, बड़ी बड़ी कम्पनियों के शेयरों पर और अगर आप शामिल करना चाहें तो लाटरियों पर, अधिभार लगा देती तो सत्तर करोड़ से अधिक की आमदनी हो सकती थी। इस विधेयक में अनुमान लगाया गया है कि साल भर में सात करोड़ रुपया प्राप्त होगा। इस वर्ष में तो यह राशि केवल 2.6 करोड़ है। रेल मन्त्री जी विराजमान हैं। सात करोड़ का तो रेलों में प्रतिवर्ष कोयला चोरी चला जाता है। रेलों ने इस चोरी को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। रेलों में लाखों यात्री बिना टिकट चलते हैं। अगर उन्हें पकड़ने की व्यवस्था की जाए, प्रबन्ध में कड़ाई हो, कर्मचारी ईमानदारी से काम करें तो रेलों की आमदनी बढ़ सकती है और नए टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन रेल यात्रियों पर अधिक भार डाला जा रहा है और रेलें अपनी आमदनी बढ़ाने में, फिजूलखर्ची घटाने में, अपव्यय रोकने में किसी तरह का प्रयत्न नहीं कर रही हैं। मैं समझ सकता था इस विधेयक के औचित्य को अगर रेल मन्त्री इसके साथ ही इस बात का विवरण भी सदन के सामने रखते कि संकटकाल की स्थिति को देखते हुए विस्थापितों के लिए अधिक धन की आवश्यकता है, इस बास्ते रेलों के अनावश्यक खर्च में भी कटौती करने की कोशिश की जा नहीं है। सभापति महोदय, आप तो पी० ए० सी० के चेयरमैन हैं। आपके सामने स्थिति आ चुकी है। इस आशय की रिपोर्ट भी सदन में पेश की जा चुकी है कि रेलों में ओवर-कैपिटलाइजेशन है और जो कैपेसिटी है, उनका अंडर-यूटीलाइजेशन हो रहा है। 1969-70 में रेलों की कुल आमदनी एक हजार करोड़ थी। अगर अपने खर्च में रेलें दस फीसदी की भी कटौती करें तो भी सौ करोड़ रुपया आपका बच सकता था। मैंने सभाचार-पत्रों में पढ़ा है—मुझे पता नहीं कहाँ तक सच है—कि केन्द्रीय सरकार से सबसे कहा है कि खर्च में कटौती करो। ऐसी

अवस्था में सात करोड़ की रकम तो नगण्य है, उससे कहीं अधिक रुपया रेलें अपने खर्च में कटौती करके जुटा सकती थीं। लेकिन इस तरह का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। रेलें अधिक साधन जुटाने के बजाय मन्त्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, उन्हीं की चाँ चाँ में व्यस्त हैं। रेलवे बोर्ड के पुराने चेयरमैन चले गए हैं। उनका वक्तव्य अगर कोई कीमत रखता है तो उन्होंने कहा है कि तीस करोड़ रुपया अष्टाचार के द्वारा जो नष्ट किया जा रहा है, उसे वह बचाना चाहते थे। श्री गांगुली को इसकी इजाजत नहीं दी गई। इस लिए उनका डिब्बा पटरी से उतारा दिया गया, उनकी गाड़ी टकरा गई, एक दुर्घटना हो गई।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि आम आदमी पर और बोझा लादना कोई औचित्य नहीं रखता है। अगर साधन चाहिये तो आप वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करने वालों की जेब से कुछ निकालें, मैं आपत्ति नहीं करूँगा, प्रथम श्रेणी के यात्री भी सरकारी खजाने में कुछ योगदान दे सकते हैं लेकिन तीसरे दर्जे के यात्रियों पर बोझा डालना और एक रुपये का जो टिकट लेता है, उसको भी अधिक कर देने के लिए विवश करना, यह जन विरोधी कदम है। इससे जनता का मनोबल ऊँचा नहीं होगा और इससे मंहगाई को रोकने का सरकार का प्रयत्न उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। देश पहले ही मुद्रा स्फीति का शिकार है। दाम बढ़ रहे हैं। बंधी बंधाई तनखाह पाने वाला वर्ग परेशान है और अब उस पर विस्थापितों के नाम पर और भी बोझा लादा जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय इसमें संशोधन करें। तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को इससे मुक्त कर दें। रेलवे प्रशासन की ओर से सदन को आश्वासन दें कि खर्च में कमी करने का और भित्तव्ययिता खाने का प्रयत्न किया जायेगा। उससे कितनी बचत होगी, इसका कोई लक्ष्य भी निर्धारित किया

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

किया जाना चाहिए और उस लक्ष्य से सदन को अवगत करना आवश्यक है। मैंने आपसे निवेदन किया, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, आम आदमी पर बिना बोझा लादे हुए विस्थापितों को राहत देने के लिए साधन जुटाये जा सकते हैं लेकिन इसके लिए सरकार को अपना जन-विरोधी स्वरूप छोड़ना होगा और ऐसे लोगों पर बोझा लादना होगा जो बेने की क्षमता रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन अध्यादेशों के द्वारा जो कर लगाए गए हैं, उनका विचार करते समय इस पहलू को बिल्कुल दृष्टि से ओझल कर दिया गया है, इसीलिए यह विरोध हो रहा है। यह विरोध जनता तक जायेगा और इससे इस संकट की घड़ी में अनावश्यक कटुता पैदा होगी।

समाप्त करने से पहले मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। सरकार कहती है, बंगला देश के विस्थापित वापिस चले जायेंगे। कितने विस्थापित जाने के बाद यह टैक्स लेना बन्द कर दिया जायेगा? सब विस्थापित वापिस चले जायें, इसकी सम्भावना नहीं दिखाई देती। क्या यह टैक्स भी स्थायी बन जायेगा? श्रीमती सुशिला रोहतगी स्पष्ट आश्वासन दें कि यह कब तक के लिए अस्थायी होगा? अभी तक का अनुभव ऐसा है कि संकटकाल के नाम पर जो भी टैक्स लगाए जाते हैं, वह फिर वापिस होने का नाम नहीं लेते। हो सकता है, विस्थापित वापिस चले जायें, मगर टैक्स वापिस न हो। वह स्थिति बड़ी संकटपूर्ण है और इस सबंध में असंदिग्ध आश्वासन आवश्यक है। धन्यवाद।

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI
SUSHILA ROHATGI) : Sir, I beg to move*:

"That the Bill to provide for the levy of a tax on railway fares, be taken into consideration."

Sir, hon. Members are aware that the question of raising additional resources to

meet the expenditure for relief of Bangla Desh refugees was discussed at the last meeting of the Governors and Chief Minister of States held on the 12th October, 1971. It was agreed that both the Centre and the States should raise additional resources from their respective spheres of taxation for being utilised exclusively for the relief of Bangla Desh refugees. The representatives of the States had also agreed that the additional revenues so raised should be entirely placed at the disposal of the Centre for the above purpose.

It has been decided to levy a tax of 5% of the railway fares paid by passengers for journeys commencing on or after 15th November, 1971. However, the levy does not apply either to fares less than Re 1/- or to season tickets for which the corresponding single journey fare is less than Re 1/-. Whilst the former exemption would keep out of the tax a majority of the III Class passengers travelling short distances, the latter will take outside the purview of this tax many commuters, travelling on season tickets. In other words, the tax will generally impinge on passengers travelling longer distances or by higher classes.

Under Art. 269(1) of the Constitution, this tax, though levied and collected by the Central Government, has to be assigned to States under clause (2) of the Article. The Constitution provides that the "net proceeds" shall be distributed among the States in accordance with such principles of distribution as may be formulated by Parliament by law. As the States are to re-transfer the share of their proceeds to the Centre, Clause 6 of the Bill enacts a simple mechanism for determination of their share. As the Railways will be collecting this tax, in addition to the railway fares, no difficulty is likely to be experienced by them for implementing the requirements of Clause 6.

It became necessary to impose this levy through an Ordinance, namely Ordinance No. 17 of 1971 for the following reasons:—

- (a) Parliament was not in session ;
- (b) action had to be taken immediately to raise maximum resources, as delays would have impeded our efforts in this direction. Further, steps were required to be taken

*Moved with the recommendation of the President.

to collect the tax where advance reservation for journeys commencing on or after the 15th November, 1971 were made :

- (c) The date of effect of the levy had to be kept as 15th November, 1971, as several preparatory steps were necessary (i) to keep the collection machinery in readiness, and (ii) to avoid inconvenience to the travelling public.

The present Bill seeks to replace this ordinance.

I commend this Bill to the House, as the objective underlying the levy is a laudable purpose, namely, meeting the expenditure for relief of Bangla Desh refugees, and I request the House to unanimously accept this Bill.

Sir, I move.

MR. CHAIRMAN : Motions moved :

"This House disapproves of the Railway Passenger Fares of Ordinance, 1971 (Ordinance No. 17 of 1971) promulgated by the President on the 22nd October, 1971." ;

"That the Bill to provide for the levy of a tax on railway fares, be taken into consideration."

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) :
सभापति महोदय, इस आर्डिनंस को आज एक कानून की शक्ल दी जा रही है। रेल के किराये को बढ़ाने के सिलसिले में जहाँ तक आर्डिनंस का ताल्लुक है और इस पालियामेंट और हम जो इसके चुने हुए नुमाइन्दे हैं, हम लोगों का ताल्लुक है, बहुत ही अफसोस मालूम होता है कि आज जिस पद्धति से हमारी सरकार चल रही है। आज पार्लमेन्ट के रहते हुए 12-12 और 13-13 आर्डिनंस जारी कर दिए गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पार्लमेन्ट के जो अधिकार हैं, जो हम चुने हुए नुमाइन्दों के हक हैं, वह सब धीन लिए जायेंगे आहिस्ता आहिस्ता या उनको बढ़ाया जायेगा ? यह जो तरीका देखा रहे हैं, इससे इस पार्लमेन्ट के अधिकार आहिस्ते-आहिस्ते खींचे जा रहे हैं, डिक्टेटरशिप के हाथ में लाए जा रहे हैं। तो देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो

पार्लमेन्ट के नुमाइन्दे चुनकर आते हैं, उनके अधिकारों पर इस तरह से हस्तक्षेप रूनिंग पार्टी कर रही है इन आर्डिनन्सेज के जरिए से। मंत्री महोदय ने कहा है कि चूँकि बहुत जरूरी था हमारे लिए ऐसा करना इसलिए जल्दी किया है और पार्लमेन्ट 15 नवम्बर को खुलने वाली थी, 22 अक्टूबर को कर दिया। 15 तक इन्तजार नहीं कर सके, इससे क्या सबूत मिलना है ? यही कि पार्लमेन्ट जो 15 तारीख को बैठेगी, उस पार्लमेन्ट पर एतबार नहीं, देश के लोगों पर एतबार नहीं, सिर्फ अपनी राय पर, अपनी पार्टी की राय पर सरकार चलाना चाहते हैं। अब एक नयी पद्धति, एक नया रास्ता और निकाला है कि चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नरों को बुलाकर उनसे राय ले लिया और उसके बाद आर्डिनंस आ गया। तो क्या अब यही पद्धति चलेगी, यही तरीका चलेगा ? आज इसका जवाब साफ तौर से मिलना चाहिए। यह जो इस तरह से हमारे जनतांत्रिक अधिकारों पर हमला हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो पार्लमेन्ट के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, इसका जवाब रूनिंग पार्टी से आना चाहिए।

जहाँ तक इस विधेयक का सवाल है, इसमें आपने यह कहा है कि एक रुपए से कम वालों पर टैक्स नहीं पड़ेगा और एक रुपए से ज्यादा जो है, उस पर यह टैक्स का बोझ दिया जायेगा। मैं यह पूछना चाहता हूँ और जहाँ तक मैंने देखा है, गरीब लोग क्या एक रुपए से कम में ही जाते हैं ? इसके मानी बिहार के गरीब बंगाल में नहीं जाते हैं, बंगाल के गरीब बिहार में नहीं जाते हैं और आंध्र के गरीब उड़ीसा में नहीं जाते हैं। वह गरीब नहीं हैं, गरीब वही हैं, जो यहाँ से एक स्टेशन गए और बाकी जितने है, वह गरीब नहीं हैं। बिहार से महाराष्ट्र में जाने वाले से तमाम लोग जो हैं, इनको एक रुपए से ज्यादा देना होगा। बम्बई से शोलापुर जायेगा तो उसको भी एक रुपए से ज्यादा देना पड़ेगा। बम्बई से पूना जायेगा या पूना से बम्बई जायेगा तो

[श्री मोहम्मद इस्माइल]

उसकी भी ज्यादा देना पड़ेगा। छिपाते क्यों हैं, क्यों नहीं साफ साफ बात रखते हैं? कहते हैं गरीबों पर नहीं, अमीरों पर यह बढ़ाया गया है। अगर थर्ड क्लास पर न बढ़ाकर फर्स्ट क्लास पर बढ़ाते, एयरकन्डीशन्ड पर बढ़ाते, डबल कर देते, तब देश के लोग समझते कि हमारी सरकार गरीबी हटाओ पर चलने वाली है। आप खुद अपने से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब जख्म लगेगा चिल्लायेगी। तब स्विसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, कहेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी (मक्सिस्ट) यह कर रही है।

ये लोग हैं जो आन्दोलन करते हैं। गरीबी हटाओ की बात आपने कही है, लेकिन टैक्स लगा रहे हैं गरीबों पर और अमीरों को साफ छोड़ दिया है। जब हम इसके लिये कहते हैं तो कहते हैं कि वे लोग इन्-डिस्प्लन्ड है, आतकवादी है, मक्सिस्ट पार्टी के लोग हैं। यह दो-तरफा बातें नहीं होनी चाहिये, सीधी बात होनी चाहिये। आप ने जो आडिनेंस लगाया है, क्या यह गरीबी हटाने के लिये लगाया गया है? क्या इससे गरीबी हटेगी? आज जितनी ब्लैक मनी लोगों के पास है, जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, जिनके बारे में हम लोग बार-बार कहते रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया आज उनके पास है, उसके लिये अगर आप आडिनेंस जारी करते तो हम मेम्बर पार्लियामेंट भी मदद करते और कहते चलो हम बताते हैं कहां कहां ब्लैक मनी छिपी हुई है। लेकिन ब्लैक-मनी वालों को आप ने नहीं छुआ, जो बड़े बड़े लक्षपति हैं, जो मुनाफा करते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगाया और गरीबों पर लगा दिया—तो यह कैसे घोभा दे सकता है। जगजीवनराम बाबू इस समय सदन में आ रहे हैं, मैं उन से कहना चाहता हूँ कि गरीबी हटाओ के लिये आप ऐसा काम कर रहे हैं।

एक बात और कहना चाहता हूँ। यह बंगला देश के रिपब्लिजियों की मदद के लिये किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि सही मायनों में इससे उनकी मदद कैसे हो

सकती है। पहले एक मदद की जा सकती थी कि उनकी बंगला देश की सरकार को मान लिया जाता तो हम सारी शंका से बचा जाते। सीधे-सीधे उनसे कहते कि डण्डा ले जाओ और लड़ो, हम तुम्हारी मदद पर हैं। इस तरह मैं हम उनके स्वतन्त्रता संग्राम में मदद कर सकते थे और दुनिया के सामने कह सकते हैं कि हम ने इनको माना है, अब तुम लड़ो। अगर खिचड़ी नहीं खाते हो, तो रोटी खाओ और लड़ो। हमने उनकी सपोर्ट के लिये यहां पर रेजोल्यूशन पास किया, बंगला देश के लोगों के संग्राम के लिये फुल सपोर्ट दी। जब हम उन को फुल सपोर्ट देते हैं तो हमारे ऊपर एक दायित्व आ जाता है—तमाम जनता को उनके पीछे खड़ा करना, उनकी लड़ाई जायज है, उनके पीछे आना चाहिए, लेकिन इस काम के लिये आपने क्या तरीका अख्तियार किया? मिनिस्ट्रों को बुलाया, गवर्नरों को बुलाया—पूछा, क्या करना चाहिए? तय कर दिया कि टैक्स लगाओ, सेन्टर में लगाओ, स्टेट में लगाओ। किसी ने दो करोड़ लगाया, किसी ने पांच करोड़ लगाया, किसी ने बारह करोड़ लगाया। ऐसी हालत में आप कैसे जनता को मोबिलाइज करेंगे कि इस काम में समर्थन करो। जो पैसा देगा, वह कहेगा कि समर्थन कराते हैं पैसा लेकर। आपकी पार्टी ने इतना विचार नहीं किया। ऐसी चीजें आपने पेश कीं कि इससे बंगला देश की हमदर्दी के बजाय हमें तो शक होता है, जो हमदर्दी आज है, जो जनमत था, उसके अन्दर आपने फूट डालने का तरीका अख्तियार किया है—इन टैक्सों का लगाना इस बात का सुबूत है।

आज राज्यों में क्या हो रहा है? मोटर व्हीकल्स पर टैक्स लादा गया है, टोल-टैक्स बढ़ा दिया गया है, दूसरे टैक्स लगा दिये गये हैं, गर्ज कि हर सेक्शन के अन्दर इस चीज को पैसा कर दिया गया है। हमने देखा कि इन टैक्सों के लगाने से लोगों के अन्दर दूसरी तरह के क्याल पैदा हो गये हैं।

में अभी मेघालय गया था। हमारे मंत्री महोदय ने वहां पर लैक्चर दिया था, 60-70 हजार रिफ्यूजी वहां पर जमा थे। उन्होंने लैक्चर दिया कि तुमको तो जाना होगा। लोग कहने लगे कहां जाना होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सब आपकी ही अक्ल से नहीं बोलते हैं।

श्री मोहम्मद इस्माइल : हम लोग वर्मा जो के साथ गये थे, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट का डेलीगेशन गया था। वहां पर लोगों ने कहा कि राशन हमारे लिये 1 रु० 10 नये पैसे का लिखा हुआ है, 95 पैसे का मिलता है, कोई हिसाब देने वाला नहीं है। कोई अइटम अगर नहीं मिल पाता है तो हजम हो जाता है, दूसरे हफ्ते में दीजिये, ऐसा भी नहीं है, जा गया सो गया। अगर चावल नहीं मिला, तो आगे भी नहीं मिलेगा। मैंने घूम घूम कर वहां देखा, लोग शिकायत कर रहे थे। हम लोगों ने कहा कि हम इसी लिये आये हैं कि देखें, हम लोगों को पूरा राशन मिले, यह न हो कि चावल नहीं मिला तो दूसरी चीज भी न मिले। लकड़ी नहीं मिली है, तो तेल दिया जाय, हर तरह की सुविधा दी जाये। जब हमने जिम्मेदारी ली है तो तुम्हारी ज़रूरियात पूरी की जायेगी।

मैं कह रहा था कि बंगला देश के रिलीफ के नाम से आप इस तरह से जनता पर बोझ डालना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। आप क्यों रिफ्यूजियों को बदनाम कर रहे हैं, अपनी करतूतों को क्यों छिपाना चाहते हैं। अपनी कमजोरियों को नहीं कहते हैं कि बड़े बड़े सरमायेदारों को, धनिकों को जो करोड़ों रुपये का मुनाफा करते हैं, उनको छोड़ दिया है। आप को यह कहना चाहिए था कि जब तक रिफ्यूजी यहां रहेंगे तुमको अपना 50 परसेंट मुनाफा सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन यह आप से नहीं हुआ। आप कहते हैं कि इन टैक्सों से 70 करोड़ खर्चा बसूल हो जायेगा, लेकिन इससे गरीबों के अन्दर एक ऐसा सवाल पैदा

कर दिया गया है। हमारी सरकार उनको पूरा सपोर्ट करती है, उसके बाद कहते हैं कि खिचड़ी खाओ, खिचड़ी नहीं है, राशन नहीं है तो वैसे ही चलो, फिर कहते हैं कि तुमको वापस जाना होगा, वापस जाने की जहूनियत पैदा हो रही है, इधर भी पैसे का सवाल है, उधर भी पैसे का सवाल है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम उनके नाम का व्यवहार न किया जाये। उनके अन्दर जोश है, अभी अपने देश की रक्षा के लिये, अपनी आजादी की लड़ाई के लिये हमारे देश के प्रति उनके मन में सहानुभूति है, लेकिन उनका नाम लेकर इस तरह से टैक्स लगा कर उनके प्रति एक नया शोशा खड़ा कर दिया है—इसका क्या नतीजा होगा, मालूम नहीं।

17.28 hrs.

[MR. SPEAKER in the Chair]

अब जहां तक रेलवे का सवाल है—मैं अभी कलकत्ता में देखकर आया हूँ, हावड़ा स्टेशन पर टिकट-चैकर की जगह हेल्पर-चैकर रखे गये हैं। 140 रु० माहवार के हिसाब से सियाल्दा डिवीजन में आमतौर से भरती शुरू कर दी गई है। जो टेम्परेरी लोग वहां पर थे, उनको नहीं रखा गया, क्योंकि पैसा बचाया जा रहा था। वहां के डी० एस० ने क्या किया—बाहर से लोगों को रिफ्रूट किया है और जो लोग पहले से टेम्परेरी और कैजुअल हैं, वह वहां पर धरना लगा कर बैठे हैं कि हमको परमानेंट नहीं करते हैं, बाहर से लोगों को रख रहे हैं। रेल मंत्री महोदय इस समय यहां नहीं है, लेकिन मैं आपके जरिये उनसे कहना चाहता हूँ कि सियाल्दा डिवीजन में जो हो रहा है, आप उसकी खबर लें। वहां के डी० एस० उप्पल साहब हैं, के० के० दास साहब हैं—ये लोग क्या कर रहे हैं? एक तरफ ये लोग रेलवे के पैसे को बरबाद कर रहे हैं। जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उनको परमानेंट किया जाय, उन पोस्टों पर भेजा जा सकता है, जिनके लिये कि बाहर से भरती की जा रही है। इन जगहों पर उनको भी लिया

[श्री मोहम्मद इस्माइल]

जा सकता है और बाहर से भी लिया जा सकता है। मंत्री महोदय के सामने मैंने यह बात रखी है, मुझे आशा है कि आप जवाब देते वक्त इसका भी जिक्र करेंगे। बहुत सी बातें मैंने ऐसी कहीं हैं, जिनके लिये शायद आप कहेंगे कि यह हमारी मिनिस्ट्री से बाहर की बात है। अगर ऐसा है तो आप उनको बाहर भेज दीजिये ताकि किसी दूसरे अवसर पर उनका जवाब मिल सके। टैक्स के सिनसिले में मैंने बातें कही हैं, मैं उनका जवाब चाहता हूँ। इन अल्फ'ज के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

MR. SPEAKER : We will continue this debate tomorrow. But before we take up the next item, Shrimati Nandini Satpathy will make a statement. I wanted to make it clear that on this matter of stopping of publication by certain newspapers in Calcutta, I had allowed a Call Attention Motion already, but the justification for the statement as given to me and explained to me is such that it needs being made today. I hope you will believe me when I say that they think that if we issue an appeal today the newspapers might resume publication by tomorrow, that is why I wanted to convey it to you so that there may be no misunderstanding tomorrow. I have already conveyed to the Members who gave the call attention notice that—they are free to ask questions if they like, here and now.... (*Interruptions*).

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore) : It is better we put questions today.

MR. SPEAKER : In that case we shall not have call attention motion tomorrow because the significance will be gone. So she will make a statement now and you can ask questions.

17.31 hrs.

STATEMENT Re. INCREASE IN PRICES OF NEWSPAPERS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) : With the imposition of the

Excise Duty on newspapers which came into effect on the 15th November, a number of newspapers in the country have increased their prices well in excess of the Excise Duty. The price increases have not been uniform, but have varied from 2 paise which is the Excise Duty now payable by newspapers whose circulation is above 15,000 right up to 8 paise.

Newspapers managements have justified increase in prices in excess of the Excise Duty as being due to the increase in cost of various items. While there may have been some increases in cost, Government are of opinion that the increases in prices, which have followed no uniform pattern cannot be justified on this ground. This is obvious from the fact that while cost increases must have affected all newspapers uniformly, the price increases have varied from one paper to another. Government feel that such price increases, specially now when the country is passing through a difficult period, should have been avoided.

In this respect the situation in the Eastern Sector of the country is specially serious. Hawkers in Calcutta claimed their proportionate share of the price increase on account of Excise Duty and since newspapers managements declined to pay them additional commission the distribution of newspapers in the city has practically come to a standstill. This is unfortunate, especially because people are anxious to have the latest and most authentic news of developments on our border. In these circumstances the absence of newspapers affects public morale, encourages unfounded rumours and tends to create panic.

The Government of West Bengal and the Government of India have tried to intervene in this situation. As a result, the Paschim Banga Sangbad Patra Bikreta Samity, an Association representing newspaper hawkers in the city have agreed not to claim any additional commission so long as the increase in the price of the newspaper is restricted to the amount of the Excise Duty. Government appreciate this gesture of the Samity and appeal newspaper managements and hawkers all over the country to respond to the situation in the same spirit which this Samity has shown. Government requests newspaper managements to restrict the price increase for the present to the amount of the Excise Duty and defer the question of any further increase for decision